राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध मूल वाद संख्या – 43 / 2020
तारीख दायरा – 21 / 12 / 2020

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)।

अप्रार्थी :–

1. रामचंद्र पुत्र पुखराज जाति–छीपा निवासी देसूरी तहसील देसूरी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री ईश्वरसिंह नायब तहसीलदार, देसूरी पैरोकार सरकार।
2. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 30/7/2021

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.28 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 2411 / 1 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 आवासीय भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये व्यावसायिक उपयोग कर रहे है। राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार अप्रार्थी रामचंन्द्र द्वारा मौके पर खसरा नम्बर 2411 / 1 रकबा 0.20 हेक्टर आवासीय भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाकर भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स किराणा जनरल स्टोर संचालित है। जो बिना अनुमति से आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में ले रहे है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन है।

अत : इनके विरूद्ध वर्णित भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी, मौका फर्द मय नजरी नक्शा व रजिस्टर्ड दस्तावेज की फोटो प्रतिया संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत जाहिर किया कि अप्रार्थी ने लोगों [illegible] प्रयोजनार्थ बेचान किये है एवं अपने भूखण्ड पर रहवासीय मकान [illegible] पर अपना पुश्तैनी कार्य घर पर करता है जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ [illegible] भूमि का नही किया जा रहा है। भूमि सडक पर स्थित होने से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण [illegible] वाले, नियमितिकरण, प्रिमियम ऋण जमा करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, [illegible] डिफरेंस

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

राशि अप्रार्थी जमा के लिये तैयार है। जिससे उक्त प्रकरण को खारिज का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत प्रकरण विड्रो किये जाने बाबत् इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा ग्राम देसूरी में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.28 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2411/1 रकबा 0.20 हेक्टर आवासीय भूमि है उक्त भूमि में मकान एवं दुकाने बनाई हुई है। प्लोट कांटे गये है। उक्त भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जिससे इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अप्रार्थी द्वारा इस कार्यालय के आदेश संख्या/ राजस्व / 2000/ 136 दिनांक 18.04.2000 के द्वारा खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.20 हेक्टर अर्थात 2000 वर्ग मीटर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये जाने से उक्त प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार देसूरी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय विलेख, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रो किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.07.2021 का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के मध्य नजर पत्रावली के अवलोकन करने उपरोक्त विवेचन एवं अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का आवासीय रूपान्तरण कराये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किये जाने बाबत् अनुशंषा प्रार्थना–पत्र के मध्य नजर प्रकरण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है।

अप्रार्थी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग करते भवन में शीघ्र कार्यवाही की जाकर डिफरेन्स प्रिमियम की राशि राजकोष में जमा करावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 30/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)